भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3180

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2026

एमएसएमई योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

3180. श्री तारिक अनवरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 से अब तक पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत लाभार्थियों, स्वीकृत ऋणों, जारी की गई केन्द्रीय सहायता और रोजगार सृजन की स्थिति का राज्य-वार आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को संस्थागत ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता और डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति और प्रभावकारिता की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दृष्टि से बिहार में विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, नए क्लस्टर, सामान्य सुविधा केन्द्र या अन्य विशेष पहल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत लागू लाभार्थियों की संख्या, संस्वीकृत ऋण, सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है **(अनुबंध-I-IV)**।

(ख) : स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित निगरानी, मूल्यांकन तथा फीडबैक तंत्र के माध्यम से सरकार समय-समय पर एमएसएमई स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है।

(i) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, वेंडर विकास कार्यक्रमों (वीडीपी), ई-कॉमर्स (अर्थात एमएसएमई ग्लोबल मार्ट), सार्वजनिक खरीद नीति पर जागरुकता कार्यक्रमों, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), निर्यात, क्षमता निर्माण तथा बारकोड पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनके बाजार तक पहुंच, प्रतिस्पर्धात्मकता और बिजनेस करने के अवसर प्रदान करने में सहायता करती है। ये स्कीम एमएसएमई के लिए बेहतर बाजार तक पहुंच, सरकारी खरीद नीतियों और सरकारी खरीद अवसरों के प्रति जागरुकता बढ़ाने, एमएसई और संस्थागत खरीददारों के बीच लिंकेज को सुदृढ़ बनाने, बाजार तक व्यापक पहुंच के लिए बारकोड को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा समग्र बाजार क्षमताओं को बढ़ाने एवं सहभागी उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता की सुविधा प्रदान करती है।

(ii) एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन स्कीम जीरो इफेक्ट समाधानों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(iii) क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के मूल्यांकन में उद्यमों की बिक्री, आय और रोजगार में वृद्धि तथा इसके साथ-साथ प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित एमएसई द्वारा औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट तक पहुंच में विस्तार के भी संकेत मिलते हैं।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय पूरे देश में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह मांग-आधारित स्कीम है जहां क्लस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। नालंदा जिले में टेक्सटाइल क्षेत्र में वर्तमान वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) में एक नए सामान्य सुविधा केंद्र का अनुमोदन किया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3180, जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार पीएमवी स्कीम के तहत सफल पंजीकरणों, आधारभूत कौशल प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋणों, संवितरित ऋणों और वितरित टूलकिट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	सफल पंजीकरणों की संख्या	आधारभूत कौशल प्रशिक्षणों की संख्या	संस्वीकृत ऋणों की संख्या	संवितरित ऋणों की संख्या	वितरित टूलकिटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2,22,947	1,79,632	60,058	51,459	1,10,502
अरुणाचल प्रदेश	7,196	1,868	304	255	94
असम	1,18,861	98,052	16,184	14,651	67,132
बिहार	1,62,053	1,19,731	27,492	23,569	73,153
छत्तीसगढ़	1,16,442	82,683	12,012	9,116	60,130
गोवा	18,575	12,161	1,418	1,082	7,423
गुजरात	2,14,064	1,86,843	51,467	41,962	1,57,213
हरियाणा	41,366	33,454	8,129	7,236	22,496
हिमाचल प्रदेश	19,701	13,202	2,242	2,114	8,053
झारखंड	43,737	31,913	7,085	6,541	22,196
कर्नाटक	5,72,108	4,89,788	1,31,702	1,09,340	3,89,289
केरल	22,344	13,805	5,935	5,693	7,080
मध्य प्रदेश	2,78,022	2,28,642	60,289	54,198	1,57,897
महाराष्ट्र	2,83,298	2,18,004	65,803	55,504	1,61,630
मणिपुर	18,132	11,869	2,344	2,071	2,575
मेघालय	4,725	922	88	55	190
मिजोरम	3,397	1,409	108	71	147
नागालैंड	4,550	2,074	436	413	140
ओडिशा	1,06,312	85,964	19,963	18,378	61,394
पंजाब	13,040	8,529	1,945	1,838	3,573
राजस्थान	2,51,982	2,20,737	65,351	61,649	1,76,724
सिक्किम	3,407	1,993	493	405	536
तमिलनाडु	0	0	0	0	0
तेलंगाना	89,040	67,663	29,662	27,818	40,791
त्रिपुरा	20,273	15,986	4,587	4,290	7,589
उत्तर प्रदेश	1,78,031	1,46,628	18,030	15,293	90,061
उत्तराखंड	20,357	12,971	1,542	1,391	7,945
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल राज्य	28,33,962	22,86,523	5,94,669	5,16,392	16,35,953
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,057	609	141	135	283
चंडीगढ़	775	332	87	82	89
दिल्ली	2,619	1,015	225	216	118
जम्मू और कश्मीर	1,54,881	1,37,624	14,874	9,886	1,14,062
लद्दाख	4,189	2,758	635	605	2,318
लक्षद्वीप	697	459	19	19	42
पुडुचेरी	902	270	174	173	63
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	918	634	181	173	442
कुल (यूटी)	1,66,038	1,43,701	16,336	11,289	1,17,417
कुल	30,00,000	24,30,224	6,11,005	5,27,681	17,53,370

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3180, जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी (एमएम), अनुमानित सृजित रोजगार और संवीकृत ऋण राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	संवितरित मार्जिन मंनी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित सृजित रोजगार	संस्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपए में)
अंडमान निकोबार	290	3.7	2610	42.85
आंध्र प्रदेश	17821	585.7	160389	2778.39
अरुणाचल प्रदेश	469	35.9	4221	114.91
असम	8005	229.9	72045	832.33
बिहार	17628	505.2	158652	1951.64
चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र	20	0.6	180	6.41
छत्तीसगढ़	5770	193.8	51930	896.9
दिल्ली	101	6.1	909	32.42
गोवा	148	6.6	1332	30.5
गुजरात	6680	728.6	60120	2775.13
हरियाणा	3533	186.8	31797	1117.93
हिमाचल प्रदेश	2811	102.5	25299	492.45
जम्मू कश्मीर	38528	798.3	346752	2954.63
झारखंड	4649	115.7	41841	468.24
कर्नाटक	12946	436.2	116514	2151.51
केरल	9294	220.8	83646	1170.36
लद्दाख	442	20.8	3978	70.8
मध्य प्रदेश	10174	374.4	91566	1059.5
महाराष्ट्र	7956	381.8	71604	2157.17
मणिपुर	1359	33.4	12231	118.51
मेघालय	2145	67.1	19305	255.68
मिजोरम	1228	47.1	11052	141.66
नागालैंड	2381	78.3	21429	228.38
ओडिशा	9593	275.5	86337	1478.23
पुडुचेरी	99	2.8	891	16.86
पंजाब	3998	245.8	35982	1506.94
राजस्थान	4507	327.5	40563	2121.66
सिक्किम	763	27.3	6867	154.27
तमिलनाडु	21309	577.5	191781	3012.34
तेलंगाना	7737	322.5	69633	1570.56
त्रिपुरा	1950	49.7	17550	160.88
उत्तर प्रदेश	25809	999.7	232281	3453.74
उत्तराखंड	2802	91.0	25218	336.96
पश्चिम बंगाल	4359	171.4	39231	750.67

अनुबंध-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3180, जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 30-06-2026 तक सीजीटीएमएसई के तहत प्रदान की गई क्रेडिट गारंटियों का राज्य-वार ब्यौरा :

सीजीएस-अनुमोदित गारंटियां									
		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक)	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	600	128	655	142	976	198	249	52
2	आंध्र प्रदेश	79,938	5,395	1,10,323	8,189	1,39,299	14,259	28,792	3,323
3	अरुणाचल प्रदेश	981	198	1,707	352	1,942	632	727	142
4	असम	34,556	3,750	75,747	6,436	49,337	8,019	8,921	1,558
5	बिहार	1,13,262	8,582	2,21,458	14,120	1,56,823	16,265	29,614	3,547
6	चंडीगढ़	2,459	604	17,401	2,711	6,838	1,731	644	217
7	छत्तीसगढ़	25,845	2,968	40,583	4,231	39,465	6,661	7,023	1,659
8	दिल्ली	35,127	8,527	55,120	12,824	61,686	17,995	10,028	4,014
9	गोवा	4,947	611	6,510	857	5,439	995	1,110	241
10	गुजरात	1,06,073	19,668	1,10,039	25,335	1,35,529	40,110	24,966	10,591
11	हरियाणा	48,455	8,553	75,244	10,865	73,035	15,549	14,103	3,939
12	हिमाचल प्रदेश	20,600	2,080	23,750	2,411	27,417	3,325	5,840	869
13	जम्मू और कश्मीर	53,295	2,415	47,201	2,816	48,736	3,633	21,169	1,493
14	झारखंड	34,800	4,432	64,614	6,494	59,748	8,130	14,331	1,899
15	कर्नाटक	1,35,959	14,016	1,88,144	21,453	1,48,355	28,673	27,502	6,444
16	केरल	45,515	4,590	68,755	7,693	72,725	11,255	15,229	2,466
17	लद्दाख	637	84	709	98	577	116	291	48
18	लक्षद्वीप	7	1	23	2	51	2	16	1
19	मध्य प्रदेश	75,023	9,569	1,31,490	14,213	1,07,460	18,863	19,706	4,268
20	महाराष्ट्र	1,29,892	23,359	2,38,128	39,989	2,49,969	59,178	45,882	12,702
21	मणिपुर	1,580	111	1,952	181	2,882	343	1,107	119
22	मेघालय	1,693	252	2,776	328	3,122	530	731	164
23	मिजोरम	1,232	73	1,472	134	2,581	286	807	83
24	नागालैंड	1,563	160	1,804	230	1,977	305	693	99
25	ओडिशा	56,392	6,109	94,128	9,684	81,988	13,517	16,614	3,218
26	पुडुचेरी	2,418	233	4,471	332	3,266	502	468	88
27	पंजाब	81,259	9,632	88,991	10,406	79,971	13,263	14,960	3,396
28	राजस्थान	85,848	9,180	1,20,424	13,865	1,22,758	21,308	21,211	5,422
29	सिक्किम	1,108	102	1,748	165	1,336	210	254	34
30	तमिलनाडु	1,13,815	15,061	1,79,817	21,447	1,53,804	30,072	28,747	6,816
31	तेलंगाना	41,940	6,368	97,292	11,586	91,059	18,801	16,265	4,463
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1039	277	1,025	315	1,458	466	262	108
33	त्रिपुरा	6,523	381	8,398	570	12,018	1,042	2,953	282
34	उत्तर प्रदेश	2,47,258	21,200	4,03,938	32,790	5,46,792	46,876	1,07,951	11,229
35	उत्तराखंड	26,361	2,253	26,268	2,776	28,458	4,230	5,468	979
36	पश्चिम बंगाल	1,06,073	11,887	2,03,170	19,465	1,57,912	25,207	23,953	5,711
	कुल	17,24,073	2,02,807	27,15,275	3,05,507	26,76,789	4,32,547	5,18,587	1,01,687

अनुबंध-IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3180, जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24 में दिनांक 30-06-2026 तक सीजीटीएमएसई के तहत अनुमानित सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा:

सीजीएस-अनुमानित सृजित रोजगार (लाख में)					
क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27 दिनांक 30.06.2026 तक
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.03	0.03	0.04	0.01
2.	आंध्र प्रदेश	1.34	2.35	3.96	0.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.06	0.11	0.04
4.	असम	0.62	1.42	1.29	0.19
5.	बिहार	2.93	4.49	4.52	0.99
6.	चंडीगढ़	0.12	0.51	0.53	0.07
7.	छत्तीसगढ़	0.55	0.99	1.36	0.31
8.	दिल्ली	1.63	1.70	2.88	0.36
9.	गोवा	0.16	0.22	0.13	0.01
10.	गुजरात	3.60	4.03	3.40	0.37
11.	हरियाणा	1.66	1.96	3.39	1.05
12.	हिमाचल प्रदेश	0.45	0.63	0.77	0.21
13.	जम्मू और कश्मीर	0.55	1.07	1.18	0.54
14.	झारखंड	1.27	2.03	2.14	0.66
15.	कर्नाटक	3.86	8.06	7.33	1.60
16.	केरल	1.36	1.80	3.04	0.71
17.	लद्दाख	0.01	0.02	0.01	0.01
18.	मध्य प्रदेश	1.89	3.31	3.38	0.84
19.	महाराष्ट्र	5.63	7.56	9.57	2.46
20.	मणिपुर	0.04	0.06	0.16	0.04
21.	मेघालय	0.04	0.04	0.05	0.01
22.	मिजोरम	0.02	0.04	0.07	0.02
23.	नागालैंड	0.04	0.05	0.08	0.03
24.	ओडिशा	1.47	2.37	3.67	0.91
25.	पुडुचेरी	0.06	0.11	0.11	0.02
26.	पंजाब	1.93	2.40	3.00	0.92
27.	राजस्थान	1.86	2.98	4.45	1.03
28.	सिक्किम	0.03	0.04	0.04	0.01
29.	तमिलनाडु	4.12	5.35	7.40	2.04
30.	तेलंगाना	1.33	2.15	3.38	1.02
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.08	0.06	0.10	0.02
32.	त्रिपुरा	0.11	0.17	0.28	0.10
33.	उत्तर प्रदेश	5.77	9.58	17.71	5.46
34.	उत्तराखंड	0.48	0.70	1.01	0.24
35.	पश्चिम बंगाल	3.14	4.59	5.53	1.13
	कुल	48.20	72.95	96.09	24.39